# न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

| मि0नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 23/2022 | 08.02.2022 | 18.07.2022 |

पीठासीन अधिकारी—हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— श्यामबिहारी उर्फ कृष्णकान्त आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी मकान नं. 448—शास्त्री नगर दादाबाड़ी, कोटा जिला कोटा (राज0)

( वादी )

बनाम

1— पुरूषोत्तम आत्मज जगन्नाथ मृतक जर्ये का0मु0—
1/1 किशन आत्मज पुरूषोत्तम
1/2 सिद्वार्थ आत्मज पुरूषोत्तम
1/3 विनिता पुत्री पुरूषोत्तम
1/4 भव्या पुत्री पुरूषोत्तम
1/5 आरती पुत्री पुरूषोत्तम
1/6 चित्रा पत्नी पुरूषोत्तम
निवासीगण किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा
2— नन्दिनी पुत्री जगन्नाथ, पत्नी शिवप्रकाश, जाति धाकड़ निवासी मकान नं0 के आर 219, के पास सिविल लाइन कोटा
3— श्यामलता पुत्री जगन्नाथ, पत्नी लक्ष्मीकान्त, जाति धाकड निवासी मकान नं0 डी—58 श्रीनाथपुरम कोटा
4— निखिलेश पुत्री जगन्नाथ, पत्नी सुजीत कुमार, जाति धाकड़ निवासी मकान नं0 1—बी—22 संजय नगर , कोटा जिला कोटा
5— जितेन्द्रा पुत्री जगन्नाथ, पत्नी सुनील कुमार, जाति धाकड़ निवासी मकान नं0 571—बसन्त बिहार कोटा जिला कोटा
6— कौशल किशोरी पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभूलाल मृतक जर्ये का0मु0—
6/1 तरूण आत्मज प्रभुलाल
6/2 नितिन आत्मज प्रभुलाल
निवासीगण मकान नं0 77—बी श्रीनाथपुरम कोटा जिला कोटा
7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

( प्रतिवादीगण )

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:55 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से – श्री अनिल [illegible]

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री ओ0पी0सोनी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट बावत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 62 नया, पुराना 58 पर निम्न विवरण की कृषि भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 संलग्न है।

खसरा नम्बर 23 की 0.62 हेक्टर
खसरा नम्बर 248/555 की 0.05 हेक्टर
खसरा नम्बर 257 की 0.30 हेक्टर
खसरा नम्बर 27/543 की 1.07 हेक्टर
खसरा नम्बर 29 की 0.37 हेक्टर
खसरा नम्बर 298 की 0.59 हेक्टर
खसरा नम्बर 299 की 0.22 हेक्टर
खसरा नम्बर 301 की 2.70 हेक्टर
खसरा नम्बर 31 की 1.17 हेक्टर
खसरा नम्बर 312 की 0.48 हेक्टर
खसरा नम्बर 315 की 1.83 हेक्टर
खसरा नम्बर 531 की 0.73 हेक्टर
खसरा नम्बर 534 की 0.54 हेक्टर
खसरा नम्बर 535 की 0.78 हेक्टर
कुल 14 किता की 11.45 हेक्टर भूमि

यह कि उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के पिता जगन्नाथ आत्मज बक्सूलाल एवं वादी के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा है व जगन्नाथ जी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जगन्नाथ जी का देहावसान हो चुका है ओर जगन्नाथ जी के वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 वारिसान व उत्तराधिकारी है। जिनका जगन्नाथ जी के 1/3 हिस्से में समान हिस्सा है।

यह कि जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमियों को लेकर आपसी विभाजन हो गया है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में निम्न भूमि कब्जे व हिस्से में आयी–

(अ) वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि
खसरा नम्बर 23 की 0.62 हेक्टर
खसरा नम्बर 248/555 की 0.05 हेक्टर
खसरा नम्बर 257 की 0.30 हेक्टर
खसरा नम्बर 27/543 की 1.07 हेक्टर
खसरा नम्बर 298 की 0.59 हेक्टर
खसरा नम्बर 299 की 0.22 हेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... 
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

खसरा नम्बर 31 की 1.17 हेक्टर
खसरा नम्बर 312 की 0.48 हेक्टर
खसरा नम्बर 315 की 1.83 हेक्टर
खसरा नम्बर 531 की 0.73 हेक्टर
खसरा नम्बर 534 की 0.54 हेक्टर
खसरा नम्बर 535 की 0.78 हेक्टर
कुल 12 किता की 8.38 हेक्टर

(ब) प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 के हिस्से व कब्जे की भूमि–
खसरा नम्बर 29 की 0.37 हेक्टर
खसरा नम्बर 301 की 2.70 हेक्टर
कुल 2 किता की 3.07 हेक्टर

यह कि इस प्रकार पारिवारिक विभाजन के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी भूमियों के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है तथा वादी पारिवारिक विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन कराने का अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से पारिवारिक विभाजन के अनुसार खाता अलग अलग दर्ज कराने व खातेदार घोषित कराने हेतु दिनांक 10.01.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण ने जगन्नाथ जी का इंतकाल खुला कर विभाजन कराने से इन्कार कर दिया।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी व विभाजन का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद की खाता सं0 62 की कुल 14 किता की 11.45 हेक्टर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुसार वादी के खाते में खसरा नम्बर 23 की 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 248/555 की 0.05 हेक्टर , खसरा नम्बर 257 की 0.30 हेक्टर , खसरा नम्बर 27/543 की 1.07 हेक्टर खसरा नम्बर 298 की 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 31 की 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 312 की 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 315 की 1.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 531 की 0.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 534 की 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 की 0.78 हेक्टर, कुल 12 किता की 8.38 हेक्टर भूमि दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। व अलग से लगान कायम किया जावे।

(2) कि ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद की खाता [illegible] की कुल 14 किता की 11.45 हेक्टर का वादी व प्रतिवादीगण के [illegible] अनुसार प्रतिवादीगण के खाते में खसरा नम्बर 29 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 301 की 2.70 हेक्टर , दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

किता की 3.07 हेक्टर भूमि अलग खाते दर्ज कर प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा लगान अलग से कायम किया जावे।

(3) अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी सं02076–2079 ग्राम किशनगंज तह0 दीगोद

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब सहमति परक प्रस्तुत कर विशेष कथन निम्न प्रकार किया हैः–

1– यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार है। जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि पक्षकरान के मध्य पूर्व में हुये पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन किया जाकर वाद पत्र की मद नम्बर 3–अ में वर्णित 12 किता की 8.38 हेकटर भूमि वादी के खाते दर्ज किये जाने व मद नं0 3–ब में वर्णित दो किता की 3.07 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम अलग खाते दर्ज किये जाने व विभाजन में प्राप्त भूमि का पृथक से खातेदार घोषित किये जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने में आपत्ति नही है। तदनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामें के अनुसार उक्त दावे को डिक्री करना चाहते है इसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है व कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः–

खाता सं0 62 की कुल 14 किता की 11.45 हेक्टर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुसार वादी के खाते में खसरा नम्बर 23 की 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 248/555 की 0.05 हेक्टर , खसरा नम्बर 257 की 0.30 हेक्टर , खसरा नम्बर 27/543 की 1.07 हेक्टर खसरा नम्बर 298 की 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 31 की 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 312 की 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 315 की 1.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 531 की 0.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 534 की 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 की 0.78 हेक्टर, कुल 12 किता की 8.38 हेक्टर भूमि तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के हिस्से में खसरा नम्बर 29 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 301 की 2.70 हेक्टर , दो किता की 3.07 हेक्टर भूमि प्राप्त हुई है, इस कारण वाद में लिखेनुसार वाद को डिक्री किये जाने में हम पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री फरमा दिया जावे।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई [illegible] प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व [illegible] वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आ[illegible] सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। [illegible] की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:55 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 में राजीनामा प्रस्तुत किया गया हैः–खाता सं0 62 की कुल 14 किता की 11.45 हेक्टर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुसार वादी के खाते में खसरा नम्बर 23 की 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 248/555 की 0.05 हेक्टर , खसरा नम्बर 257 की 0.30 हेक्टर , खसरा नम्बर 27/543 की 1.07 हेक्टर खसरा नम्बर 298 की 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 31 की 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 312 की 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 315 की 1.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 531 की 0.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 534 की 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 की 0.78 हेक्टर, कुल 12 किता की 8.38 हेक्टर भूमि तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के हिस्से में खसरा नम्बर 29 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 301 की 2.70 हेक्टर , दो किता की 3.07 हेक्टर भूमि मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– श्यामबिहारी उर्फ कृष्णकान्त आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी मकान नं 448–शास्त्री नगर दादाबाडी, कोटा जिला कोटा (राज0)

( वादी )

बनाम

1– पुरूषोत्तम आत्मज जगन्नाथ मृतक जर्ये का0मु0–
1/1 किशन आत्मज पुरूषोत्तम
1/2 सिद्वार्थ आत्मज पुरूषोत्तम
1/3 विनिता पुत्री पुरूषोत्तम
1/4 भव्या पुत्री पुरूषोत्तम
1/5 आरती पुत्री पुरूषोत्तम
1/6 चित्रा पत्नी पुरूषोत्तम
निवासीगण किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा।

2– नन्दिनी पुत्री जगन्नाथ पत्नी शिवप्रकाश, जाति धाकड निवासी मकान नं0 के आर 219, के पास सिविल लाइन कोटा।

3– श्यामलता पुत्री जगन्नाथ पत्नी लक्ष्मीकान्त, जाति धाकड निवासी मकान नं0 डी–58 श्रीनाथपुरम कोटा।

4– निखिलेश पुत्री जगन्नाथ पत्नी सुजीत कुमार, जाति धाकड निवासी मकान नं0 1–बी–22 संजय नगर कोटा जिला कोटा

5– जितेन्द्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी सुनील कुमार, जाति धाकड निवासी मकान नं0 571–बसन्त बिहार कोटा जिला कोटा

6– कौशल किशोरी पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभूलाल मृतक जर्ये का0मु0–
6/1 तरूण आत्मज प्रभुलाल
6/2 नितिन आत्मज प्रभुलाल
निवासीगण मकान न0 77–बी श्रीनाथपुरम कोटा जिला कोटा

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

( प्रतिवादीगण )

वादीगण की ओर से – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री ओ0पी0सैनी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 [illegible] खातेदारी घोषणा एव विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज0)

मिसल नं 23/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू वहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है:–खाता सं0 62 की कुल 14 किता की 11.45 हेक्टर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुसार:– वादी के खाते में खसरा नम्बर 23 की 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 248/555 की 0.05 हेक्टर , खसरा नम्बर 257 की 0.30 हेक्टर , खसरा नम्बर 27/543 की 1.07 हेक्टर खसरा नम्बर 298 की 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 31 की 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 312 की 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 315 की 1.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 531 की 0.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 534 की 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 की 0.78 हेक्टर, कुल 12 किता की 8.38 हेक्टर भूमि तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के हिस्से में खसरा नम्बर 29 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 301 की 2.70 हेक्टर , दो किता की 3.07 हेक्टर भूमि मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 18.07.2022 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपयै | पैसे | मुदालयह | रूप्ये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:55 IST
Reason: SelfAttested